UPMB180007472024

<u>न्यायालय सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़ महोबा।</u>
एफ0 आर0 नं0–03/2024
संगीता बनाम अज्ञात (चालक)

मु0अ0सं0 398/2023
धारा 279, 304ए भा0दं0सं0
व 184 एमवीएक्ट
थाना–कुलपहाड़, जिला महोबा।

<u>दिनांक–17.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई।

थाना कुलपहाड़ द्वारा मु0अ0सं0 398/2023, अंतिम रिपोर्ट संख्या–03/2024 अन्तर्गत धारा–279, 304ए भा0दं0सं0 व 184 एमवी एक्ट की विवेचना के पश्चात अंतिम आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। वादिया मुकदमा को जरिये नोटिस सूचना प्रेषित की गयी। नोटिस तामील होकर वापस न्यायालय को प्राप्त हुआ। पंरतु पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादिया मुकदमा नोटिस तामील होने के उपरान्त न्यायालय उपस्थित नहीं आयी है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह उपरोक्त मामलें में कोई रूचि नहीं ले रही है तथा वह पुलिस द्वारा उपरोक्त मामलें में लगाई गई एफआर सं0 03/2024 से संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में मामलें में कार्यवाही हेतु कुछ शेष नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो के आधार पर अन्तिम आख्या संख्या–03/2024 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अंतिम आख्या संख्या–03/2024, एफआर वाद सं0 (03/2024) स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शिशिर यादव)
न्यायिक मजि0, कुलपहाड़,
महोबा
जे0ओ0 कोड यू0पी0 4601